डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 मई, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 मई, 2025

| वर्ष 68 | अंक 23 | भोपाल | 1 मई, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

देश में सर्वाधिक 2600 रुपये प्रति क्विंटल दर पर गेहूं खरीद रही है मध्यप्रदेश सरकार : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

उपार्जन में हम हरियाणा और पंजाब से भी आगे

किसानों को समय पर मिले उपार्जन राशि भुगतान

खाद्यान्न के बारदानों में लगायें जायेंगे क्यूआर कोड

वेयर हाउसेस भी क्यूआर कोडयुक्त किये जायेंगे

मुख्यमंत्री ने की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिले। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रकार के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन पाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर और त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन पाने से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं, विशेषकर खाद्यान्न वितरण, उज्जवला गैस योजना की सब्सिडी वितरण और घर-घर घरेलू गैस पाइप लाइन डालने का काम पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किये जाएं, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सरकार की सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके।

हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि त्रुटिरहित राशन वितरण, किसानों को उपार्जन राशि का समय पर भुगतान और हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रबंध और जरूरी कदम उठाये जायें। घरेलू गैस की पाइप लाइन डालने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मक्का, कोदो-कुटकी जैसे श्रीअन्न भी स्व-सहायता समूह एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को दिये जायें, ताकि इनकी मांग (खपत) में वृद्धि हो और श्रीअन्न पैदा करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिले।

गेहूं उपार्जन का काम 5 मई तक पूरा कर लें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चल रही गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाए और किसानों को गेहूं उपार्जन का भुगतान कम से कम समय में कर दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल तक करें। इस अवधि तक बुकिंग कराने वाले सभी किसानों से गेहूं उपार्जन का समस्त कार्य 5 मई 2025 तक हर हाल में पूराकिया जाए।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में बताया कि गोदामों में खाद्यान्न स्कंध की हेरा-फेरी पर अंकुश लगाने के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्नों के सभी बारदानों (बोरों) में क्यूआर कोड लगाये जायेंगे। इसी तरह एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधीन सभी वेयरहाउस को भी क्यूआर कोडयुक्त किया जा रहा है। इनमें सीसीटीव्ही कैमरे भी लगवाये जाएंगे। खाद्यान्न वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर नजर रखने एवं फूड-स्टॉकिंग के सभी कामों की मुख्यालय से निगरानी के लिए भोपाल में एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग स्वयं के 1596 गोदामों का क्रमबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कर रहे हैं। सभी गोदाम में भंडारित स्टॉक एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम रिस्क कवर के लिए नवीनतम प्रावधानों के तहत बीमा पॉलिसी भी लागू की जा रही है। मंत्री श्री राजपूत बताया कि उपार्जित स्कंध की साफ-सफाई के लिए उपार्जन केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीनों की स्थापना की गई है। स्कंध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रेन एनालाईजर के साथ-साथ विभाग के अधीन सभी वेयर हाउसेस में संकेतक (साइनेज) भी लगाये जा रहे हैं।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा (मुख्यमंत्री कार्यालय), अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य विभाग श्री कर्मवीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं और व्यवस्थाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अवगत कराया।

बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 29 प्रकार की पात्रता श्रेणियों में एक करोड़ 31 लाख 34 हजार परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। अंत्योदय परिवारों को राशन के साथ शक्कर भी दी जा रही है। पात्र हितग्राहियों की ई-केवायसी के लिए विशेष अभियान जारी है। अब तक 80.43 प्रतिशत पात्र हितग्राहियों की "ई-केवायसी" की जा चुकी है। बताया गया कि जन पोषण केंद्र के रूप में विभाग द्वारा एक नवाचार किया जा रहा है। इसमें केन्द्र सरकार के सहयोग से पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर जिले की 30 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाया गया है। इन उचित मूल्य दुकानों द्वारा स्वयं के वित्तीय साधनों से व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा उज्जैन एवं सागर जिले की 15-15 दुकानों को भी जन पोषण केंद्र बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

शाजापुर में कृषकों को मिले सहकारिता के नवाचार के उपाय

इंदौर: सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, कैथलाय में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ज़िला शाजापुर में स्थित कैथलाय गांव में हुआ, जिसमें समिति प्रबंधक श्री मनोहर सिंह, ऑपरेटर श्री दीपक कुमार, विक्रेता श्री राम सहाय और समस्त सम्माननीय सदस्य तथा कृषक बंधु उपस्थित रहे।

जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक प्रदीप कुमार रैकवार द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों और इसकी पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि कैसे सहकारी समितियों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है और कैसे सहकारिता को एक सक्षम और लाभकारी व्यवसाय मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है। इस सत्र ने कृषकों को सहकारिता के माध्यम से अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उपाय बताए। समापन सत्र में, समिति प्रबंधक ने संस्था की कार्यप्रणाली से अवगत कराया और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कृषकों और सदस्य का आभार व्यक्त किया।

सहकारिता में नवाचार से नित नए आयाम गढ़ता मध्यप्रदेश

भोपाल :संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है "सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है"। स्व से सब का भाव हो जाना ही सहकार है। भारतीय संस्कृति स्वयं से ऊपर उठकर हम की भावना रखना सिखाती है और इसी भावना से जन्म हुआ है सहकार का। सनातन संस्कृति में जब हम प्रार्थना करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। सबके सुख और मंगल की यही कामना सहकारिता का मूल भाव है। हम लाभ से ज्यादा सेवा को महत्त्व देते हैं। एक से ज्यादा समूह को महत्त्व देते हैं। प्रतिस्पर्धा से ज्यादा परस्पर सहयोग को महत्व देते हैं और यही सहकारिता है।

भारत का सहकारिता आंदोलन सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में गहराई से निहित है। यह आंदोलन समावेशी विकास, सामुदायिक सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में विकसित हुआ है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और इसकी नवीनतम पहलों के माध्यम से सरकार ने एक सहकारिता-संचालित मॉडल को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो देश के हर कोने तक पहुंचेगा और समाज की मुख्य धारा से अलग पड़े समुदायों के लिए स्थायी आजीविका और वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा।

सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस क्षेत्र को मजबूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक नीतिगत ढांचा, कानूनी सुधार और रणनीतिक पहल शुरू की। सरकार ने सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी', डिजिटलीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वंचित ग्रामीण समुदायों के लिए समावेशिता को बढ़ावा देने की अपनी पहल पर काफी जोर दिया है। केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत का सहकारिता आंदोलन एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। अपनी दूरदर्शी सोच को आधार बनाकर उन्होंने सहकारिता के लिए नई विचारधारा को जन्म दिया है। उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय सहकारी आंदोलन में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का विस्तार, पैक्स के लिए बेहतर प्रशासन और व्यापक समावेशिता, पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने एवं पैक्स को नाबार्ड से जोड़ने का काम किया है।

नई श्वेत क्रांति की ओर अग्रसर मध्यप्रदेश

प्रदेश में सहकार से समृद्धि की पहल के तहत केन्द्रीय मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन तथा फेडरेशन से संबद्ध दुग्ध संघों के बीच कोलेबोरेशन एग्रीमेंट हुआ। इस कोलेबोरेशन एग्रीमेंट के माध्यम से सहकारी डेयरी नेटवर्क को सशक्त बनाने का लक्ष्य है, जिससे दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि हो सके और सांची ब्रांड का उत्थान और विस्तार किया जा सके। यह नई श्वेत क्रांति की ओर प्रदेश का महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसका लाभ दुग्ध उत्पादकों और दुग्ध उपभोक्ताओं दोनों को मिलेगा। दुग्ध उत्पादक राज्यों में मध्यप्रदेश टॉप-श्री में है, हमारे यहां देश का करीब 9 प्रतिशत दुग्ध-उत्पादन होता है। प्रदेश में रोजाना करीब 551 लाख किलोग्राम दूध का उत्पादन होता है, जिसमें से मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इससे जुड़े संघ करीब 10 लाख किलोग्राम दूध जमा करते हैं।

डेयरी क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश देश का फ़ूड बास्केट तो है ही, हममें डेयरी कैपिटल बनने की क्षमता भी है। देश का डेयरी कैपिटल बनने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। प्रदेश में सहकारी डेयरी नेटवर्क को हाइटेक बनाने के लिए एक डेयरी डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की योजना है, जिसमें लगभग 1450 करोड़ रुपए का निवेश होगा। प्रदेश में औसत दुग्ध संकलन को दोगुना किया जाएगा, दुग्ध संकलन को 10 लाख किलो से बढ़ाकर 20 लाख किलो प्रतिदिन करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जाएगी। प्रदेश भर के 18 हजार गांवों के दुग्ध-उत्पादन से जुड़े किसान भाइयों को सहकारी डेयरी नेटवर्क से जोड़ेंगे। ग्राम स्तर पर दुग्ध शीतलीकरण की क्षमता विकसित करेंगे, औसत पैकेट दुग्ध विक्रय 7 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 15 लाख लीटर प्रतिदिन करेंगे।

मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने के लिए नए हाइटेक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे दुग्ध संकलन और दुग्ध विक्रय में वृद्धि हो सके। सभी दुग्ध संघों का व्यवसाय 1944 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। एनडीडीबी द्वारा एमपीसीडीएफ एवं दुग्धसंरघों के प्रबंधन, संचालन, तकनीकी सहयोग, नवीन प्रसंस्कररण एवं अन्य अधोसंरचनाएं विकसित करेंगे। एनडीडीबी द्वारा दुग्ध सहकारी समितियों के सभी सदस्यों, सचिवों, प्रबंधन समिति के सदस्यों और दुग्ध संघों के कर्मचारियों को स्वच्छ और गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सहकारिता से सरल हुई सशक्तिकरण की राह

प्रदेश में डेयरी गतिविधियों के लिए त्रि-स्तरीय सहकारी संस्थाओं का गठन कर, ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियां, सहकारी दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर एमपीसीडीएफ (मध्यप्रदेश स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड) की स्थापना की गई। ये दुग्ध सहकारी समितियां किसानों से दूध संग्रह, गोवंश के कृत्रिम गर्भाधान, संतुलित पशु आहार, तकनीकी पशु प्रबंधन, उन्नत चारा बीज, पशु उपचार और टीकाकरण जैसी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी निभा रही हैं।

दुग्ध उत्पादक किसानों के साथ मध्यप्रदेश सरकार

डेयरी क्षेत्र विकसित करने के संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रदेश में श्वेतक्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति : 2025 की स्वीकृति दी है। गौ-शालाओं को पशु चारे और आहार के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को भी 20 रुपये प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर 40 रूपये प्रति गौवंश प्रति दिवस करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना अब डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के नाम से जानी जाएगी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत 25 दुधारू गाय अथवा भैंस की इकाई स्थापित करने का प्रावधान किया गया। प्रदेश की गौ शालाओं को हाइटेक बनाया जा रहा है। ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। भोपाल के बरखेड़ी-डोब में 10 हजार गौ-वंश क्षमता वाली हाइटेक गौ-शाला बनाई जा रही है। प्रदेश के सवा 2 लाख किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता के माध्यम से जोड़ा गया है।

सरकार द्वारा दुग्ध सहकारी संघों के डेयरी प्रोडक्ट्स को मार्केट लिंकेज दिलाकर वैश्विक सप्लाई चेन से कनेक्ट करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना के तहत 25 या 25 से ज्यादा गायों का पालन करने वाले पशुपालकों को पशुपालन पर अनुदान दिया जाएगा।

जीआईएस से शुरू हुआ मध्यप्रदेश में सहकारिता का नया अध्याय

सहकार को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहली बार सहकारिता क्षेत्र को जोड़ा गया है। समिट में सहकारिता क्षेत्र में 2305 करोड़ से अधिक के 19 एमओयू साइन हुए हैं। को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल पर भी काम किया गया। सीपीपीपी मॉडल देश की सहकारिता को बदलने का काम करेगा। सहकारिता विभाग में निवेश विंग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। निवेश विंग डे-टू-डे काम करेगी।

सहकार से मिल रही विकास को रफ़्तार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश की सभी सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि हो रही है। पैक्स के डिजिटलीकरण से किसानों को त्वरित ऋण सुविधा, ऑनलाइन लेन-देन और रिकॉर्ड प्रबंधन में मदद मिल रही है। 'सहकारिता में सहयोग' यानी "को-ऑपरेशन एमॉन्ग को-ऑपरेटिवस्" को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे छोटे और बड़े सहकारी संस्थान एक-दूसरे की मदद कर सकें। सहकारी समितियाँ अब केवल कृषि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डेयरी, क्रेडिट, विपणन, बीज वितरण, जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिला स्व-सहायता समूहों को समर्थन और उपभोक्ता सेवाओं तक अपना दायरा बढ़ा रही हैं। डिजिटलीकरण के साथ-साथ सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार और प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों से मध्यप्रदेश की सहकारी समितियाँ किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी हैं। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर, डिजिटल एकीकरण और सहकारी उद्यमिता को बढ़ावा देकर सरकार सहकारी नेतृत्व पर आधारित आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत और टिकाऊ मॉडल तैयार कर रही है। उम्मीद है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और स्टेट डेयरी को-ऑपरेटिव फेडरेशन तथा फेडरेशन से संबद्ध दुग्ध संघों के बीच कोलैबोरेशन एग्रीमेंट डेयरी व्यवसाय के क्षेत्र में मिसाल कायम करेगा।

दुग्ध उत्पादन से किसानों की समृद्धि के खुलेंगे नये द्वार

मध्यप्रदेश दुग्ध संघ और एनडीडीबी का कॉलैबोरेशन एग्रीमेन्ट प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों की आय दोगुनी करने एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य हुए इस अनुबंध की अवधि 5 वर्ष होगी, जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा। इसके तहत मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे, दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जायेगी। इन सबके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में रविवार को हुआ सहकार्यता अनुबंध (कोलैबोरेशन एग्रीमेंट) के निष्पादन से दुग्ध उत्पादन में क्रांति आएगी। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में यह एग्रीमेन्ट प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र-2023 में प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी सहकारी समिति एवं कलेक्शन सेंटर खोले जाने और श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर, मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि करने का उल्लेख है। इन संकल्पों को पूरा करने में यह अनुबंध महत्वपूर्ण साबित होगा। यह राज्य के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत सहकारी प्रणाली और सांची

ब्राण्ड को मजबूत करेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं सही कीमत दिलाने में मदद के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार है, जिसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा। एक दुग्ध समिति लगभग 1 से 3 गांव में दुग्ध संकलन करती है, 9 हजार दुग्ध समितियां के माध्यम से लगभग 18 हजार ग्रामों को कवर किया जा सकेगा। दुग्ध संकलन भी 10.50 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एनडीडीबी द्वारा दुग्ध उत्पादक संस्थाओं (एमपीओ) के माध्यम से कवर किए गए गांवों को 1390 से बढ़ाकर 2590 किया जाएगा तथा दूध की खरीद को 1.3 लाख से बढ़कर 3.7 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। साथ ही दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

वर्तमान में डेयरी प्लांट की क्षमता 18 लाख लीटर प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 30 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस तरह अगले 5 सालों में लगभग 1500 करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सांची ब्रांड होगा और अधिक सशक्त

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के सांची ब्रांड को और सशक्त किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित ब्रांड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दुग्ध संघ के प्रबंधन एवं संचालन के लिए प्रबंधन शुल्क और नवीन प्रसंस्करण एवं अधोसंरचनाओं के विकास के लिए भी कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार तकनीकी एवं प्रबंधन विशेषज्ञों को अपने पैरोल पर दुग्ध संघ में पदस्थ किया जाएगा तथा कार्यरत अमले का हित संरक्षण भी किया जाएगा। दुग्ध सहकारी समितियां से संबद्ध डेयरी किसानों की शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

सहकारिता मंत्री सारंग ने दिया नई दिशा, सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई गति!

उच्च स्तरीय सहकारिता बैठक में मंत्री सारंग ने दिए स्पष्ट दिशा-निर्देश: सहकारिता विकास को मिलेगी नई गति

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

सहकारिता एक्ट व गाइडलाइन पर गठित होगी विशेष समिति

मंत्री सारंग ने बैठक में स्पष्ट किया कि सहकारिता एक्ट और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का गहन अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी जो अपनी अनुशंसा उच्च स्तर पर प्रस्तुत करेगी। समिति में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक मनोज पुष्प, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता, अपेक्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य पी.एस. तिवारी, संयुक्त आयुक्त के.के. द्विवेदी और एच.एस. बघेला को शामिल किया गया है।

सीपीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय वर्कशॉप 20 जून को

बैठक में को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि 20 जून को इस मॉडल पर एक राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित की जाए जिसमें देशभर के सहकारी अधिकारी भाग लेंगे। इस वर्कशॉप के माध्यम से सहकारी संस्थाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

पैक्स और दुग्ध समितियों के विस्तार को मिली प्राथमिकता

मंत्री सारंग ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 10,000 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियाँ संचालित हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 26,000 तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 637 नई समितियों के गठन की योजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर क्रियान्वयन शुरू किया जाए। साथ ही सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवाचारों पर मार्गदर्शन देने के निर्देश भी दिए।

सहकारिता क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की पहल: 'निवेश विंग' की स्थापना

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद सहकारिता क्षेत्र में निवेशकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु 'निवेश विंग (IW)' की स्थापना की गई है। इसमें अम्बरीष वैद्य को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अपेक्स बैंक और बीज संघ के प्रबंध संचालक समन्वय अधिकारी रहेंगे। सुगुंजन राय को मुख्य संयोजक और प्रियंका शाक्य को सहायक समन्वयक बनाया गया है।

बैठक में अनेक वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित- इस अहम बैठक में अपर मुख्य सचिव सहकारिता अशोक वर्णवाल, आयुक्त सहकारिता मनोज पुष्प, उप सचिव मनोज सिन्हा, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक मनोज गुप्ता, विपणन संघ के प्रबंध संचालक आलोक कुमार सिंह, बीज संघ के महेन्द्र दीक्षित, सहकारी संघ के ऋतुराज रंजन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025—फाल्गुन 30, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2025

क्र. 5780—मप्रविस—16—विधान—2025.— मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम—64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) जो विधान सभा में दिनांक 21 मार्च 2025 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

194 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२५

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२५

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ७ का संशोधन.

४. धारा ६ का संशोधन.

५. धारा ११ का संशोधन.

६. धारा १४ का संशोधन.

७. धारा १६-ग का अंतःस्थापन.

८. धारा २४ का स्थापन.

९. धारा ४६ का संशोधन.

१०. धारा ५३ का संशोधन.

११. धारा ७० का संशोधन.

१२. धारा ७७ का संशोधन.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025 194 (1)

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२५

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०२५

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०२५ है. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

(शेष अगले पृष्ठ पर)

सहकारिता से समृद्धि की राह-प्रशिक्षण में योजनाओं पर विशेष चर्चा

इंदौर, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर के तत्वावधान में दिनांक 15 अप्रैल 2025 को बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था (बी. पैक्स), धन्नड़, जिला इंदौर में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के सहायक प्रबंधक श्री गौरीशंकर पटेल, ऑपरेटर श्री जगदीश यादव सहित संस्था के सम्माननीय सदस्यगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, जिला प्रशिक्षक श्री राहुल श्रीवास ने सहकारिता की भावना, उद्देश्य, विजन एवं मिशन पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रमुख कार्यों एवं प्राथमिकताओंकी जानकारी प्रतिभागियों को दी, जिनमें शामिल हैं:

- सहकारी संस्थाओं को पारदर्शिता एवं जवाबदेही की दिशा में सक्षम बनाना।
- डिजिटलीकरण के माध्यम से कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना।
- कृषि आधारित सहकारी योजनाओं को बढ़ावा देना जैसे – बीज, खाद, भंडारण एवं विपणन।
- महिला व युवा सहभागिता बढ़ाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- सदस्यों की वित्तीय साक्षरता और क्षमता संवर्धन के लिए नियमित जागरूकता अभियान।
- प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को बहुउद्देश्यीय इकाइयों में परिवर्तित करने की पहल।
- एकजुटता एवं सहभागिता के माध्यम से आत्मनिर्भर ग्राम की दिशा में कार्य करना।

सहायक प्रबंधक श्री गौरीशंकर पटेल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि संस्था का लक्ष्य केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि ग्राम समुदाय में समन्वय, पारदर्शिता और सहभागिता के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास को साकार करना है।

संस्था के ऑपरेटर श्री जगदीश यादव ने प्रशिक्षण के अंत में संस्था की आगामी कार्य योजनाओं व संचालन पद्धति की जानकारी दी, और कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता हेतु सभी का आभार व्यक्त किया।

किसान जागरूकता की मिसाल बना बोलाई का प्रशिक्षण

इंदौर, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, इंदौर द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, बोलाई (जिला शाजापुर) में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सहकारिता के मूल सिद्धांतों की जानकारी देना, सहकारी संस्था के सदस्यों की क्षमता वृद्धि करना तथा सहकारी संस्थाओं में नवाचार एवं व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देना रहा।

इस अवसर पर समिति प्रबंधक श्री शैलेन्द्र सिंह, ऑपरेटर श्री गजेन्द्र सिंह, विक्रेता श्री पहलाद सिंह सहित संस्था के सभी सम्माननीय सदस्य एवं बड़ी संख्या में कृषक बन्धु उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा प्रशिक्षक श्री प्रदीप कुमार रैकवार द्वारा किया गया। उन्होंने अपने सत्र की शुरुआत सहकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से की, जिसमें बताया गया कि सहकारिता आंदोलन किस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का आधार बना। उन्होंने सहकारिता के सात मूल सिद्धांतों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिनमें स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक नियंत्रण, आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सहकारिता के बीच सहयोग, और समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व जैसे बिंदु प्रमुख रहे।

श्री रैकवार ने यह भी बताया कि किस प्रकार आधुनिक तकनीकों, डिजिटल प्रबंधन प्रणालियों तथा बाजारोन्मुख रणनीतियों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं को एक दक्ष व्यावसायिक मॉडल में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया कि यदि सहकारी संस्थाएं नवाचार को अपनाएं, तो वे केवल पारंपरिक सेवा प्रदाता ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास की रीढ़ बन सकती हैं।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक ४७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में,-

(एक) खण्ड (क-दो) में, शब्द "सोसाइटी के उसी वर्ग" के पश्चात्, शब्द "या सोसाइटी से संबंधित वित्तीय बैंक का कोई अधिकारी" अतःस्थापित किए जाएं.

(दो) खण्ड (ग-चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग-पांच) "सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी" से अभिप्रेत है, धारा १६-सी के अधीन सहकारी समिति या समितियों के समूह द्वारा सार्वजनिक और निजी संगठनों के साथ की गई भागीदारी व्यवस्था;".

(तीन) खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ढ) 'गृह निर्माण सोसाइटी' से अभिप्रेत है, ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य उसके सदस्यों को गृह निर्माण के लिये भूखण्ड उपलब्ध कराना है और इसमें सम्मिलित है निम्न सघनता का गृह निर्माण, निवास स्थान या प्रकोष्ठ और/या यदि भू-खण्ड, निवास स्थान या प्रकोष्ठ (फ्लेट) पूर्व में ही अर्जित कर लिए हों तो सहकारी सिद्धांतों के अनुसार पारस्परिक सहायता से उसके सदस्यों को सामान्य सुख-सुविधाएं और यदि आवश्यक हो, गृह निर्माण वित्त पोषण उपलब्ध कराना.

स्पष्टीकरणः- गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्य को सामान्य क्षेत्र की व्यवस्था और सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, २००० (क्रमांक १५ सन् २००१) के अधीन गठित संगठन द्वारा किया जाएगा.".

धारा ७ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ७ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "बीस" स्थापित किया जाए.

धारा ९ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(३) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में तीस दिन तथा समस्त अन्य सोसाइटियों की दशा में पैंतालीस दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा तथा ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगाः

परन्तु जहां रजिस्ट्रार, नियत की गई कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर दी गई समझी जाएंगी, रजिस्ट्रार ऐसे मामलों में, सोसाइटी के डीम्ड रजिस्ट्रेशन के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आबद्ध होगा.".

धारा ११ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (३) में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परन्तु जहां रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.".

धारा १४ का संशोधन.

६. मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"(१) जहां किसी सोसाइटी को धारा ९ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र दिया गया है वहां ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक् रूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है.".

धारा १६-सी का अंतःस्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा १६-बी के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:-

"१६-सी. समितियों द्वारा भागीदारी.- कोई भी सहकारी समिति या समितियों का समूह रजिस्ट्रार की अनुज्ञा से साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा समिति की उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय किसी विशिष्टि व्यवसाय या सेवाओं को चलाने के लिए सार्वजनिक और निजी व्यवसाय संगठनों के साथ ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसी कि सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में परस्पर सहमत हो, करार कर सकेंगी.".

धारा २४ का स्थापन.

८. मूल अधिनियम की धारा २४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"२४. किसी सदस्य द्वारा अंश-पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन.- किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य सोसाइटी की कुल अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बावत् ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंश-पूंजी के एक पंचमांश से अधिक होगा.".

धारा ४६ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ४६ में,-

मूल अधिनियम की धारा ४६ में, उपधारा (७-ए) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(ग) विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराए जाने की अवधि को आगे बढ़ा सकेगी.".

धारा ५३ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,-

(एक) उपधारा (१) में, विद्यमान प्रथम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, प्रशासक की पदावधि को अतिरिक्त कालावधि के लिए आगे बढ़ा सकेगी.".

(दो) उपधारा (१२) में, विद्यमान तृतीय परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए, सोसाइटी के चुनाव करवाने के लिए कालावधि को आगे बढ़ा सकेगी;".

किसानों के लिए एक नई पहचान: 'फार्मर आईडी' से बदलेगी खेती की तस्वीर

नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक नई और ऐतिहासिक पहल –'फार्मर आईडी' (किसान पहचान पत्र) – की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक किसान का एक यूनिक डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना है, जिसमें उनकी कृषि, भूमि, परिवार, आय, फसल, पशुपालन, और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समग्र जानकारी दर्ज होगी।

क्या है फार्मर आईडी?

'फार्मर आईडी' एक डिजिटल पहचान संख्या है जो भारत के प्रत्येक पंजीकृत किसान को प्रदान की जाएगी। यह पहचान पत्र न केवल किसान की पहचान का माध्यम होगा, बल्कि यह सरकार, बैंक, कृषि संस्थान, और बाज़ार से सीधा जुड़ाव भी स्थापित करेगा।

किन जानकारियों को जोड़ा जाएगा?

1. भूमि का विवरण
- किसान के पास कुल कितनी ज़मीन है (रकबा)
- ज़मीन का स्थान (जिला, तहसील, ग्राम)
- खसरा/खतौनी नंबर और स्वामित्व प्रकार (स्वयं की या पट्टे पर)
- सिंचाई सुविधा: कुआँ, बोरवेल, नहर आदि

2. पारिवारिक जानकारी
- परिवार के सदस्य, उम्र, लिंग, शैक्षणिक योग्यता
- सामाजिक वर्ग (SC/ST/OBC/General) और BPL स्थिति
- विशेष श्रेणी: महिला मुखिया, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक

3. कृषि उत्पादन
- मौसमी फसलें और उनका क्षेत्रफल
- अनुमानित उत्पादन और बीज स्रोत (सरकारी/निजी)
- उर्वरक, सिंचाई पद्धति, जैविक खेती की स्थिति

4. मिट्टी की जानकारी
- मिट्टी की किस्म, pH स्तर, NPK तत्व
- सॉइल हेल्थ कार्ड और उसकी रिपोर्ट

5. पशुपालन और सहायक गतिविधियाँ
- किसान के पास कितने और कौन-कौन से पशु हैं
- डेयरी/पोल्ट्री की स्थिति
- पशु चिकित्सा और बीमा सुविधा

6. अन्य आय स्रोत और संपत्तियाँ
- दुकान, मजदूरी, किराया जैसे गैर-कृषि आय स्रोत
- कृषि यंत्रों का विवरण: ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि
- अन्य चल/अचल संपत्तियाँ (वाहन, मकान आदि)

7. योजनाओं का लाभ और बैंक जानकारी
- PM-KISAN, फसल बीमा, PMFME जैसी योजनाओं का लाभ
- बैंक अकाउंट, IFSC, KYC, और किसान क्रेडिट कार्ड

क्या होंगे इसके लाभ?

- योजनाओं का त्वरित और पारदर्शी लाभ सीधे बैंक खातों में
- नीति निर्धारण के लिए सटीक और अद्यतन डेटा
- फसल चयन, उर्वरक उपयोग और सिंचाई पर व्यक्तिगत सलाह
- MSP और मंडी जानकारी, डिजिटल मार्केट लिंकेज
- FPO, कृषि कंपनियों और बैंकों से आसान जुड़ाव

कैसे करें पंजीकरण?

- नजदीकी CSC सेंटर या कृषि कार्यालय में जाकर
- mKisan, UMANG जैसे मोबाइल ऐप के ज़रिए
- सरकार द्वारा जारी WhatsApp चैनल के QR कोड को स्कैन कर जानकारी पाएं

यह पहल देश मेंएकीकृत किसान डाटाबेस (UKD) की नींव डालेगी, जिससे डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सेवाएं मिल सकेंगी। इससे डुप्लीकेट लाभ, फर्जीवाड़ा, और डाटा असंगति को भी खत्म किया जा सकेगा। 'फार्मर आईडी' केवल एक पहचान नहीं, बल्कि किसानों कोडिजिटल, सशक्त और समावेशी कृषि प्रणाली से जोड़ने का एक नया अध्याय है। इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में कृषि सुधारों की दिशा तय करेगा। अपना फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं? नजदीकी CSC पर जाएं या mKisan ऐप डाउनलोड करें।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

(तीन) उपधारा (१३) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:

"(क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि रिजर्व बैंक द्वारा, जनहित में या निक्षेपकर्ताओं के हितों के विपरीत रीति में किए जा रहे सहकारी बैंकों के मामलों को रोकने या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए, वैसी अपेक्षा की जाए तो रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल को हटाने के लिए तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जितनी कि रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक नई गठित संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.".

११. मूल अधिनियम की धारा ७० में, उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:- धारा ७० का संशोधन.

"(३) परिसमापन के आदेश की तारीख से सामान्यतया एक वर्ष की कालावधि के भीतर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर दी जाएगी और उक्त एक वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, रजिस्ट्रार कारणों को अभिलिखित करते हुए कालावधि को आगे बढ़ा सकेगा.".

१२. मूल अधिनियम की धारा ७७ में,- धारा ७७ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

(२) अधिकरण में अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.".

(दो) उपधारा (३) के खण्ड (बी) में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(बी) अन्य दो सदस्यों में से एक सदस्य ऐसा अधिकारी होगा जो सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार या उससे उच्च पद पर हो या रह चुका हो. दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आंदोलन से घनिष्ठत: सम्बद्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा जिसे सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो.".

(तीन) उपधारा (५) में, खण्ड (क) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"परंतु अध्यक्ष अथवा सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा.".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

राज्य में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ और विकसित करने, राज्य में सहकारी सोसाइटियों को कारबार के नए अवसर उपलब्ध कराने, समिति की उपविधियों के अधीन अनुज्ञेय विशिष्ट कारबार करने या सेवाओं के लिए सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी (सीपीपीपी) व्यवस्था के रूप में निजी इकाइयों के साथ भागीदारी अनुबंध करना तथा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के कतिपय उपबंधों के क्रियान्वयन में अनुभव की गई व्यावहारिक तथा विधिक कठिनाइयों को कम करने के लिए, यह विनिश्चित किया गया है कि अधिनियम को यथोचितरूप से संशोधित किया जाए.

२. यह प्रस्तावित है कि "प्रशासक" की विद्यमान परिभाषा के क्षेत्र का विस्तार किया जाए और "सहकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी" (सीपीपीपी) की नई परिभाषा पुर:स्थापित की जाए. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन देते समय सदस्यों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने

हेतु उपबंध प्रस्तावित किया गया है. सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और उनकी उपविधियों के संशोधन को सरल बनाने तथा समयबद्ध रीति में किए जाने हेतु उपबंध प्रस्तावित किए गए हैं. समितियों को वित्तीय रूप से सशक्त करने हेतु सदस्य द्वारा अंश पूंजी में अंशदान बढ़ाने हेतु भी उपबंध किया जा रहा है.

३. रजिस्ट्रार या प्रशासक द्वारा सोसाइटी का प्रभार लेने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु उपबंध प्रस्तावित किया गया है. समयबद्ध रीति में समापन कार्यवाहियों को पूरा करना भी प्रस्तावित है. न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण में विभाग के अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करना भी प्रस्तावित है.

४. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : १९ मार्च, २०२५.

विश्वास कैलाश सारंग
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड ४ के द्वारा सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करने के प्रारूप विहित किये जाने,

खण्ड ८ के द्वारा किसी सोसाइटी में सदस्य द्वारा सोसाइटी की कुल अंशपूंजी के एक पंचमांश से अधिक अंश धारण नहीं किये जाने की सीमा निर्धारण किये जाने,

खण्ड ९ के द्वारा विशेष परिस्थितियों में किसी सोसाइटी का निर्वाचन कराये जाने की अवधि को बढ़ाये जाने,

खण्ड १० के द्वारा विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी के प्रशासक की पदावधि को बढ़ाये जाने एवं सोसाइटी के चुनाव करवाने की कालावधि को आगे बढ़ाये जाने,

खण्ड ११ के द्वारा किसी सोसाइटी के परिसमापन की कार्यवाही नियत समय-सीमा में पूर्ण न होने पर उसकी कालावधि को आगे बढ़ाने, एवं

(शेष अगले पृष्ठ पर)

मछुवा सहकारी समिति मर्यादित जगथर में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

नौगांव: सहकारी प्रशिक्षण केंद्र, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश द्वारा मछुवा सहकारी समिति मर्यादित जगथर, विकास खंड बंडा, जिला सागर में एक दिवसीय सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। यह शिविर समिति के संचालन, सहकारी सिद्धांतों और मछली पालन के विषय में विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण शिविर में मछुवा सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह लोधी, उपाध्यक्ष श्री सूरज सिंह, आदिवासी सदस्य रणधीर सिंह लोधी, श्रीमती सुषमा लोधी और अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। शिविर का संचालन बाबूलाल कुशवाहा, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक ने किया।

प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:

- समिति संचालन:बाबूलाल कुशवाहा ने सहकारी समितियों के प्रभावी संचालन और उनके कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
- सहकारी सिद्धांत:उन्होंने सहकारी सिद्धांतों पर प्रकाश डाला, जैसे कि सदस्यता, समानता, और स्वायत्तता, जो सहकारी समितियों के मजबूत और स्थिर कार्य को सुनिश्चित करते हैं।
- मछली पालन का महत्व:प्रशिक्षण में मछली पालन को लेकर भी विशेष जानकारी दी गई, जिसमें मछली पालन की तकनीकी जानकारी, आवश्यक उपकरण, जलवायु और मछलियों के प्रकार पर चर्चा की गई।

चौफाल वनोपज समिति में प्रशिक्षण से जागी नई ऊर्जा

सीधी, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर के सौजन्य से प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति मर्यादित चौफाल, जिला सीधी में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सफल आयोजन किया गया। समिति के प्रबंधक श्री चन्द्र प्रकाश सिंह तथा अन्य सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन जिला सहकारी प्रशिक्षक श्री पीयूष राय द्वारा किया गया। उन्होंने वनोपज संग्रहण, सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शी लेखा प्रबंधन, सहकारी सिद्धांतों और समिति संचालन की व्यावहारिक बारीकियों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।

कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों और कर्मचारियों को समिति की आर्थिक सुदृढ़ता, कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीतियों से अवगत कराया गया। साथ ही संभावित नए सदस्यों को सहकारी संगठन से जुड़ने के लाभ और जिम्मेदारियों की जानकारी प्रदान की गई।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

खण्ड १२ के द्वारा राज्य सहकारी अधिकरण में सदस्य के रूप में सहकारिता विभाग में संयुक्त रजिस्ट्रार या उससे उच्च पद पर कार्य कर चुके अधिकारी को सदस्य बनाये जाने,

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 98] भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 मार्च 2025—चैत्र 3, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2025

क्र. 3589—52—इक्कीस—अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 4 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.

सेवा सहकारी समिति मर्यादित साडा में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

जबलपुर, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित साडा, जिला सीधी में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समिति के प्रबंधक श्री सुखेन्द्र बहादुर सिंह और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। शिविर में सहकारी कार्यों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण का उद्देश्य था समिति के कार्यों के संचालन को प्रभावी बनाना और कर्मचारियों तथा सदस्यों के कौशल में सुधार करना। कार्यक्रम में सहकारिता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनमें प्रमुख थे:

1. **सहकारी संगठन की संरचना:** इस सत्र में सहकारी समितियों की स्थापना, उनके उद्देश्यों और संरचनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विशेष रूप से सदस्यता, प्रबंधन और संचालन की प्रक्रिया को समझाया गया।
2. **वित्तीय प्रबंधन और लेखा-जोखा:** सहकारी समितियों के वित्तीय प्रबंधन के महत्व पर चर्चा की गई, जिसमें लेखा-जोखा, बजट निर्धारण, और वित्तीय अनुपालन की प्रक्रिया पर गहन जानकारी दी गई।
3. **कृषि आधारित सहकारी समितियों का महत्व:** कृषि और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, उत्पादकता बढ़ाने और किसानों के लाभ के लिए सहकारी समितियों के कार्यों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।
4. **सहकारी सिद्धांत और कानून:** सहकारिता से जुड़े कानूनी पहलुओं जैसे सहकारी समितियों के अधिकार, कर्तव्य और शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया।
5. **सदस्यों की भूमिका और सहभागिता:** सदस्यों के अधिकार, जिम्मेदारियां और उन्हें सहकारी समितियों के विकास में किस तरह से योगदान देना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई।

प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया और समिति के संचालन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान प्रतिभागियों को उनके कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

NCOL की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का शुभारंभ: ऑर्गेनिक खेती को मिलेगी नई उड़ान

दिल्ली, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (NCOL) की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा के उद्घाटन को संबोधित किया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह सुविधा स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा । यहां दालों और जैविक खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पैकेजिंग की जा सकेगी ।

इस अवसर पर बोलते हुए, सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि यह संयंत्र 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत उच्च गुणवत्ता वाले, टिकाऊ जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और वितरित करने के लिए NCOL की यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि NCOL को किसानों को सशक्त बनाने और पूरे भारत में वास्तविक जैविक उत्पादों तक बाजार की पहुँच बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत ऑर्गेनिक्स एक स्वस्थ भारत के लिए सभी को स्वस्थ भोजन सुलभ करा रहा है।

डॉ. भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय हमारे किसानों की जैविक उपज को बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई पहल कर रहा है। सहकारिता सचिव ने कहा कि NCOL की पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन प्राथमिक उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करते हुए परिचालन को बढ़ाने और प्रमाणित जैविक उपज की पहुंच का विस्तार करने के संगठन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

डॉ. भूटानी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत को विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक उत्पादक देश बनाने में सहकारिता की अधिक भूमिका की परिकल्पना रखी है । सहकारी क्षेत्र में होने के कारण, NCOL अपने उद्यम का लाभ अपने सदस्य किसानों तक पहुंचा रहा है, जिससे किसानों को अधिक से अधिक ऑर्गेनिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है ।

दालों, अनाजों, मसालों और स्वीटनर्स सहित 21 ऑर्गेनिक उत्पादों के साथ, भारत ऑर्गेनिक्स दिल्ली एनसीआर में 200 से अधिक सफल आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध है, इसे स्विगी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट, अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट आदि जैसे प्रमुख ई-कॉमर्स और क्यू-कॉम प्लेटफ़ॉर्म पर भी लॉन्च किया जा रहा है। यह सभी एनसीसीएफ और नैफेड आउटलेट्स पर भी उपलब्ध है, जो NCOL के प्रमोटर सदस्य हैं। भारत ऑर्गेनिक्स जल्द ही सभी रिलायंस आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, NCOL के अध्यक्ष श्री मीनेश शाह ने कहा कि NCOL का लक्ष्य किसानों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति उनकी कड़ी मेहनत का प्रीमियम मूल्य दिलाना और जैविक खाद्य को भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है ।

उन्होंने कहा कि NCOL, भारत ब्रांड नाम के तहत प्रमाणित जैविक उत्पादों की प्रामाणिकता पर अतिरिक्त जोर देता है, जिसके तहत प्रत्येक बैच में 245+ कीटनाशक अवशेषों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाता है।

इस अवसर पर बोलते हुए NCOL के प्रबंध निदेशक श्री विपुल मित्तल ने कहा कि 2025 में भारत की अध्यक्षता में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वर्ष के अवसर पर 'भारत ऑर्गेनिक्स' दालों की इस श्रृंखला को लॉन्च करना हमारे लिए गर्व की बात है। पैकेजिंग पर इस लोगो के साथ उत्पाद की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए एक QR कोड भी है। उपभोक्ता इस कोड को स्कैन करके उक्त बैच की परीक्षण रिपोर्ट देख सकते हैं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक श्री मनीष बंदलिश ने इस बात पर जोर दिया कि मदर डेयरी अपने सभी चैनलों पर 'भारत ऑर्गेनिक्स' उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि ग्राहकों को इसका लाभ मिल सके। मदर डेयरी पिछले 50 वर्षों से दिल्ली के ग्राहकों के लिए शुद्धता और भरोसे का प्रतीक रही है।

NCOL की स्थापना भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में सहकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, प्रमाणन, परीक्षण, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक छत्र संगठन के रूप में की गई थी। NCOL "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण का पालन करते हुए संबंधित सरकारी मंत्रालयों के सहयोग से काम करता है और "सहकार से समृद्धि" के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जुड़ा हुआ है।

भोपाल में CHCDS योजना अंतर्गत जूट क्राफ्ट टूल किट वितरण

हस्तशिल्प के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सशक्त कदम

भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ एवं हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में त्रिलंगा स्थित प्रशिक्षण केन्द्र पर "जूट क्राफ्ट टूल किट वितरण कार्यक्रम" का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार की Cluster Development Scheme for Handicrafts (CHCDS) के अंतर्गत संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना और कारीगरों को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता एवं विपणन क्षमता को सशक्त बनाना है।

कार्यक्रम में हस्तशिल्प सेवा केन्द्र, भोपाल से श्री नर सिंह सैनी, सहायक निदेशक, ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में उन्होंने कहा: "जूट शिल्प एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें न केवल रचनात्मकता की अपार संभावनाएँ हैं, बल्कि यह आजीविका के सशक्त साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। CHCDS योजना शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी प्रयास है।"

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल की प्राचार्य श्रीमती मिनाक्षी बानने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा: "हस्तशिल्प केवल कला नहीं, एक जीवनशैली है। यह कार्यक्रम शिल्पकारों के कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए उन्हें बाज़ार में प्रतिस्पर्धा योग्य बनाएगा। इस टूल किट से उन्हें न केवल उत्पादन में आसानी होगी, बल्कि नए डिज़ाइनों पर भी बेहतर काम किया जा सकेगा।"

सहयोगी संस्था से श्री मनीष सिंह राजपूत ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी संस्था पिछले कई वर्षों से हस्तशिल्प के विकास हेतु कार्यरत है और इस योजना के माध्यम से सैकड़ों शिल्पकारों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में और अधिक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जूट क्राफ्ट टूल किट का वितरण

इस अवसर पर चयनित प्रशिक्षणार्थियों को विशेष जूट क्राफ्ट टूल किट वितरित की गई। इस टूल किट में जूट के साथ कार्य करने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे – डिज़ाइनिंग फ्रेम, क्राफ्टिंग टूल्स, नापने व काटने के औज़ार, और अन्य सहायक सामग्री शामिल थीं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने भी इस अवसर पर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार यह टूल किट उनके लिए एक नई शुरुआत है, जो उन्हें रोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगी।

दयाखेड़ा में महिला दुग्ध समिति में एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

इंदौर,सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा "दयाखेड़ा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित", ग्राम दयाखेड़ा, जिला इंदौर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण 15 अप्रैल 2025 को समिति परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें समिति से जुड़े सदस्यगण उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिला दुग्ध उत्पादकों को सहकारिता की मूल अवधारणाओं, सिद्धांतों तथा दुग्ध क्षेत्र में सहकारी संरचना की उपयोगिता से अवगत कराना था। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समिति के सचिव श्री सचिन जोशी, टेस्टर श्रीराजकुमार जोशी एवं अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं सिद्धांतों की जानकारी से हुई, जिसमें सहभागिता, स्वशासन, समानता एवं सामूहिक लाभ जैसे मूलभूत सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया। इसके पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका, उसकी कार्यशैली एवं इससे प्राप्त होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक लाभों की जानकारी दी गई।

विशेष रूप से नवाचारों पर केंद्रित सत्र में यह बताया गया कि बदलते समय के साथ दुग्ध उत्पादन एवं विपणन में किस प्रकार के तकनीकी एवं प्रबंधन संबंधी बदलाव हो रहे हैं, और इनसे किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को किस प्रकार लाभ मिल सकता है। प्रतिभागियों को ई-गवर्नेंस, गुणवत्ता परीक्षण, संग्रहण, एवं विपणन के आधुनिक तरीकों से भी अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर समिति के सचिव श्री सचिन जोशी ने सभी प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, "इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम सदस्यों को न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर एवं संगठित बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था "मण्डोट" में एक दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

इंदौर: "सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर" द्वारा "दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था" मण्डोट, ज़िला-इंदौर में दिनाँक 16 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारी प्रणाली के महत्व को समझाना और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सचिव श्री दीपक पटेल, टेस्टर श्री मंगल मण्डलोई, हेल्पर श्री सोमेश्वर पटेल एवं अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान, सहकारिता के सिद्धांतों और इसकी पृष्ठभूमि पर विस्तृत चर्चा की गई। खासतौर पर यह बताया गया कि कैसे सहकारी संस्थाएँ छोटे किसानों को संगठित कर उनके उत्पादकता और आय में वृद्धि कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और यह समझाया गया कि कैसे नवाचार और सुधार इस क्षेत्र को और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्यों को सहकारिता के अंतर्गत होने वाले प्रमुख बदलावों और उनके लाभों के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम के समापन पर सचिव श्री दीपक पटेल ने समिति की ओर से सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर जोर दिया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।